विधान परिषद के तृतीय सत्र 2023 के प्रथम शुकवार के लिए निर्धारित श्री हंसराज विश्वकर्मा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
1 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के विभागीय श्रेणी के कुल कितने पद रिक्त है ?	जी हॉ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के विभागीय श्रेणी के 26 पद रिक्त हैं।
(ख) उक्त रिक्त पदों पर प्रोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं, और कौन से नियम बाधक हैं ?	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा विनियमावली–2006 में निहित व्यवस्था के अनुसार समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा निर्धारित है। वर्तमान में आयोग में कार्यरत कोई कार्मिक उक्त अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रोन्नति लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी के पद पर नही की गयी है।
(ग) यदि हॉ, तो उपर्युक्त नियम को शासन स्तर से सहानुभूति पूर्वक शिथिल कराते हुए कब तक प्रोन्नति की कार्यवाही करायेंगे ?	विभागीय समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु पोषक संवर्ग सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जाती है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।

29.11.2023
(केशव प्रसाद मौर्य)
नेता सदन, विधान परिषद
एवं उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।

Scanned with OKEN Scanner